सत्यमेव जयते

दावा क्रमांक :

निःशुल्क

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप-क

# वन भूमि के अधिकारों के लिये दावा प्रारूप

**अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, २००८ का नियम ११(१) (क) देखें.**

| | | |
|---|---|---|
| १. | दावेदार (रों) का / के नाम | |
| २. | पति / पत्नी का नाम | |
| ३. | पिता / माता का नाम | |
| ४ | पता | |
| ५. | ग्राम | |
| ६. | ग्राम पंचायत | |
| ७. | तहसील / तालुका | |
| ८. | जिला | |

| | | |
|---|---|---|
| ९. | (क) अनुसूचित जनजाति :- हां / नहीं<br>(प्रमाण-पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | |
| | (ख) अन्य परम्परागत वन निवासी :- हां / नहीं<br>(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है<br>प्रमाण-पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | |
| १०. | कुटुम्ब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु<br>(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित) | |
| **भूमि पर दावे का स्वरूप :-** | | |
| १. | अधिभोग की गई भूमि का विस्तार – | |
| | (क) निवास के लिए : | |
| | (ख) स्वयं खेती के लिये, यदि कोई हो : | |
| २. | विवादित भूमि, यदि कोई हो :-<br>(अधिनियम की धारा ३(१) क देखें) | |
| ३. | पट्टे/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :<br>(अधिनियम की धारा ३(१) (छ) देखें) | |
| ४. | यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :-<br>(अधिनियम की धारा ३(१) (ड.) देखें) | |
| ५. | भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए हैं :<br>(अधिनियम की धारा ४(८) देखें) | |
| ६. | वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :<br>(अधिनियम की धारा ३(१) (ज) देखें) | |

| | | |
|---|---|---|
| ७. | अन्य कोई पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो :<br>(अधिनियम की धारा ३(१) (झ) देखें) | |
| ८. | समर्थन में साक्ष्य :<br>(नियम १३ देखें) | |
| ९. | अन्य कोई सूचना : | |

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान.

## दावा फार्म में दर्शित धाराओं से आशय है कि –

**बिन्दु-९ (ख)** अन्य परम्परागत वन निवासी से आशय ऐसे समुदायों से है जो दिसम्बर, २००५ से पूर्व कम के कम तीन पीढ़ियों अर्थात् ७५ वर्षों से प्राथमिक रूप से वनभूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये उन पर निर्भर हो।

**भूमि पर दावें का स्वरूप के बिन्दु क्रमांक – २ अधिनियम में धारा ३(१) क.** – वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्या या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिये या जीविका के लिये स्वयं खेती करने के लिये व्यक्तिगत या सामुहिक अधिभोग के अधीन वनभूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार।

**बिन्दु क्रमांक – ३, अधिनियम की धारा ३(१) छ.** – वनभूमि पर हक के लिये किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार।

**बिन्दु क्रमांक – ४, अधिनियम की धारा ३(१) ड.** – यथावत् पुनर्वास का अधिकार जिसके अंतर्गत उन मामलों में अनुकल्पिक भूमि भी है। जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को १३ दिसम्बर, २००५ के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किये बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो।

**बिन्दु क्रमांक – ५, अधिनियम की धारा ४(८).** – इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त और निहित अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वनभूमि अधिकार सम्मिलित होंगे, जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकार के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किये गये थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से ५ वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये वह अर्जित की गई थी।

**बिन्दु क्रमांक – ६, अधिनियम की धारा ३(१) ज.** – वनों के सभी वनग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हो अधिसूचित हो अथवा नहीं।

**बिन्दु क्रमांक** – ७, अधिनियम की धारा ३(१) झ. – ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार जिसकी वे सतत उपयोग के लिये परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं।